महत्वपूर्ण
संख्या-3709/सैंतीस-2-2019-

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **समस्त मुख्य विकास अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-30 सितम्बर, 2019

विषयः- **गो-आश्रय स्थलों के सुचारू रूप से संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराये जाने, आश्रय स्थल पर रखे गये गोवंश हेतु भरण-पोषण की व्यवस्था किये जाने, संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा नर गोवंश का बंध्याकरण कराने, संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराने व गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक-02.01.2019 द्वारा किया गया है। उक्त के साथ ही शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2019-5(53)/18, दिनांक-28.01.2019 द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देश भी जारी किये गये हैं।

2- तत्क्रम में प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में अधोलिखित व्यवस्थायें किये जाने की आवश्यकता है:-

1. आश्रय स्थल पर पशुओं हेतु उपयोगी छायादार वृक्षों की व्यवस्था की जाय।
2. आश्रय स्थल से गोवंश के भागने पर पूर्णतः रोक लगाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
3. गो-आश्रय स्थलों पर अभिलेखों का समुचित रखरखाव नियमानुसार किया जाय।
4. पशुओं को खिलाने हेतु निर्मित नांद शेड में बनायी जाय, जिससे बारिश/धूप के समय पशुओं को चारा आदि खाने में असुविधा न हो।
5. भूसे एवं चारे का नियमित अंकन स्टाक रजिस्टर में किया जाय।
6. आश्रय स्थल पर वायर फेन्सिंग को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।
7. आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही रू0 30/- की धनराशि के नियमानुसार सदुपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाय।

8. आश्रय स्थल पर लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराया जाय।
9. आश्रय स्थल में ऐसी भूमि पर तालाब खोदा जाय जहाँ पानी रूक सके।

3- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जनपदों में स्थापित गो-आश्रय स्थलों का वृहद् स्तर पर सतत् निरीक्षण कराया जाय व निरीक्षण के समय पायी जाने वाली कमियों का यथासम्भव स्थानीय स्तर पर निराकरण सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(**राजेन्द्र कुमार तिवारी**)
मुख्य सचिव।

<u>पृ0सं0-3709(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पशुधन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
3. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(**बी. एल. मीणा**)
प्रमुख सचिव।